



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-06072026-274196
CG-KA-E-06072026-274196

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3463]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2026/आषाढ 11, 1948

No. 3463]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2026/ASHADHA 11, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

हुवली, 2 जुलाई, 2026

रेलवे अधिनियम-1989 (संशोधन अधिनियम, 2008) की धारा 20एफ के तहत नोटिस

का.आ. 3598(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 20एफ के खंड (6) और धारा 2 के खंड 7ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेलवे मंत्रालय (दक्षिण पश्चिम रेलवे, रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट्स, हुबबली) एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (4) में उल्लिखित अधिकारियों को 'सक्षम प्राधिकारी' और नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (5) में उल्लिखित अधिकारियों को 'मध्यस्थ' के रूप में उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करता है, जो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण के लिए नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित जिलों से संबंधित स्तंभ (2) में उल्लिखित विशेष रेलवे परियोजनाओं के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

सारणी

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिला	सक्षम प्राधिकारी	मध्यस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	येलहंका-बंगरापेट जन्नागट्टा हाल-कोलार स्टेशनों के बीच किमी 130/200-300 पर एलसी 148 के बदले आरओबी का निर्माण	बंगारपेट कोलार	सहायक आयुक्त, कोलार	क्षेत्रीय आयुक्त बेंगलोर
2	येलहंका-बंगारपेट कोलार से हुडुकुला स्टेशनों के बीच किमी 132/700-800 पर एलसी नंबर 150 के बदले में आरओबी का निर्माण	बंगारपेट कोलार	सहायक आयुक्त, कोलार	क्षेत्रीय आयुक्त बेंगलोर
3	बैय्यप्पनहल्ली-धर्मावरम-किमी 45/100-200 पर ओडुरहल्ली और मकालिदुर्ग स्टेशनों के बीच एलसी नंबर 35 के बदले में आरओबी का निर्माण	डोडुबल्लापुरा	ग्रामीण क्षेत्रीय आयुक्त बेंगलुरु	क्षेत्रीय आयुक्त बेंगलोर

[फा. सं. एसडब्लूआर/डब्लू.352/आरओबीएस-आरएसपी/भूमि/2026-27]

निगप्पा चंदप्पा चलुवादि , उप मुख्य अभियंता

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Western Railway)

NOTIFICATION

Hubballi, the 2nd July, 2026

Notice under Section 20F of the Railways Act-,1989 (Amendment Act, 2008)

S.O. 3598(E).— In the exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F and clause 7A of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Railways (Amendment) Act, 2008 the Ministry of Railway (South Western Railway, Road Safety Projects, Hubballi) hereby authorizes the officers mentioned in column (4) of the table below as 'Competent Authority' and the officers mentioned in column (5) of the table below as 'Arbitrator' to perform the functions as such authority under the said Act with effect from date of publication of this notification in the official gazette in respect of Special Railway Projects mentioned in column (2) relating to districts mentioned in column (3) of the table below for Land Acquisition required for the public purpose.

TABLE

Sl.No	Name of the Project	District	Competent Authority	Arbitrator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Yelahanka -Bangarapt Construction of ROB in lieu of LC 148 at Km 130/200-300 between Jannagatta Hal-Kolar Stations	Bangarpet Kolar	Assistant Commissioner, Kolar	Regional Commissioner Bangalore
2	Yelahanka-Bangarpet Construction of ROB in lieu of LC No.150 at Km 132/700-800 between Kolar to Hudukula Stations	Bangarpet Kolar	Assistant Commissioner, Kolar	Regional Commissioner Bangalore
3	Baiyyappanhalli -Dharmavaram- Construction for ROB in lieu of LC No.35 between stations Oddarahalli and Makalidurga at km 45/100-200	Doddaballapura	SLAO Bengaluru Rural	Regional Commissioner Bangalore

[F. No. SWR/W.352/ROBs-RSP/Land/2026-27]

NINGAPPA CHANDAPPA CHALUWADI, Dy. Chief Engineer